अनुदान संख्या 35 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 35-TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged –*		*49298,62,00*	*43972,67,37*	*-5325,94,63*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*5325,94,63*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	89348,61,00	91403,62,00	82926,83,42	-8476,78,58
पूरक	Supplementary	2055,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7949,69,52
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged -*				
पूरक	*Supplementary*	*13000,00,00*	*13000,00,00*	*9995,35,70*	*-3004,64,30*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3004,64,30*
स्वीकृत -	Voted -		10000,00,00	..	-10000,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10000,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*4929862.00*	*4397267.37*	*4397267.37*	..
पु.	*R.*	*-532594.63*			

(I) *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(I) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान"* - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) *"स्थानीय निकायों को अनुदान"* - *₹257873.22 लाख* की बचत (*₹1371335.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(खा) *"सड़कों और पुलों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान"* - *₹10200.00 लाख* की बचत (*₹435900.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(गा) *"राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान"* - *₹54799.66 लाख* की बचत (*₹672375.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(घा) *"राज्य आपदा अनुक्रिया निधि को सहायता अनुदान"* - *₹67225.25 लाख* की बचत (*₹501670.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(ङ) *"पर्यावरण के लिए सहायता अनुदान"* - *₹12400.00 लाख* की बचत (*₹187500.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में)

(चा) "अभिशासन के लिए सहायता अनुदान" - *₹130559.50 लाख* की बचत *(₹202882.00 लाख के स्वीकृत विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(छा) *"आरंभिक शिक्षा अनुदान के लिए सहायता अनुदान"* - *₹5600.00 लाख* की बचत *(₹426400.00 लाख के स्वीकृत विनियोग* की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

2. उपर्युक्त बचतें *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275*(1) *के परंतुक के अधीन अनुदान- सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान"* के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - *₹6063.00 लाख* का अधिक व्यय (*शून्य विनियोग* की तुलना में) तमिलनाडू को सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव के लिए बारहवें वित्त आयोग की शेष अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(I) Under *"Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution"*- savings occurred under the following heads:-

(A) *"Grants for Local Bodies"*-saving of *₹257873.22 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹1371335.00 lakhs*);

(B) *"Grants-in-aid for Maintenance of Roads and Bridges"* - saving of *₹10200.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹435900.00 lakhs*);

(C) *"Grants-in-aid for States Specific Needs"* - saving of *₹54799.66 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹672375.00 lakhs*);

(D) *"Grants-in-aid for State Disaster Response Fund (SDRF)"* - saving of *₹67225.25 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹501670.00 lakhs*);

(E) *"Grants-in-aid for Environment"*- saving of *₹12400.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹187500.00 lakhs*);

(F) *"Grants-in-aid for Governance"* - saving of *₹130559.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹202882.00 lakhs*); and

(G) *"Grants-in-aid for Elementary Education Grant"* - saving of *₹5600.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹426400.00 lakhs*).

Savings under the above seven heads were due to non-fulfillment of conditions laid down by Thirteenth Finance Commission by some State Governments.

2. The above savings were partly offset by excess under *"Non-Plan Grants – Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution – Grants in aid for Maintenance of Public Buildings"* – excess of *₹6063.00 lakhs* (against *nil appropriation*) was due to release of balance grants of Twelfth Finance Commission to Tamil Nadu for maintenance of Public buildings.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹847678.58 लाख) नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹205501.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹847678.58 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹205501.00 lakhs obtained in November, 2011 and March, 2012 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "2075" विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services					
मू.	O.	50000.00				
पू.	S.	205500.00		208809.54	208808.78	- 0.76
पु.	R.	-46690.46				
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities					
मू.	O.	905000.00		698391.70	645683.40	-52708.30
पु.	R.	-206608.30				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	7947361.00				
पू.	S.	1.00		7405691.24	7405691.24	..
पु.	R.	-541670.76				

(I) मुख्य शीर्ष "2075" - "तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के कर्जों को बट्टे खाते डालना - केंद्रीय रूप से प्रायोजित और केंद्रीय योजना स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऋण राहत" के अंतर्गत ₹205500.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त कराकर उपलब्ध कराई गईं, तथापि, जो ₹491.22 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही; और

(I) Under Major Head "2075" - "Loans to State Governments written off in terms of recommendations of Thirteenth Finance Commission - Debt Relief to State Governments under Centrally Sponsored and Central Plan Schemes" - funds of ₹205500.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹491.22 lakhs; and

(II) मुख्य शीर्ष "2075" - "अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालना- राज्य सरकारों के कर्ज को बट्टे खाते डालना" के अंतर्गत ₹46200.00 लाख की बचत (₹50000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) Under Major Head "2075" - "Irrecoverable Loans written off - Loans to State Governments written off" - saving of ₹46200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹50000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कुछ राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी दिए जाने के लिए निबंधन और शर्तें पूरी न किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-fulfillment of the prescribed terms and conditions for award of Debt Waiver by some State Governments.

(III) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2245" – "General" – savings occurred under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्य को सहायता - गंभीर प्रवृति की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से राज्य को सहायता" - ₹206608.30 लाख की बचत (₹452500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गंभीर प्रकृति की कम आपदाएं होने के लिए कम निधियां जारी किए जाने और राज्यों के सीआरएफ/एसडीआरएफ में निधियां उपलब्ध होने के कारण हुई।

(A) "Assistance to State from National Calamity Contingency Fund - Assistance to State from National Disaster Response Fund for Calamities of severe nature" – saving of ₹206608.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹452500.00 lakhs) was due to less release of funds on account of occurrence of fewer calamities of severe nature and availability of funds in CRF/SDRF accounts of States.

(खा) "आरक्षित निधियों और जमा लेखा को अंतरण - राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरण" - ₹52708.30 लाख की बचत (₹452500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आरक्षित निधि और वास्तविक प्रोद्भूत राशि पर आधारित जमा लेखा को कम राशि अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(B) "Transfer to the Reserve Funds and Deposit Account - Transfer to National Disaster Response Fund" – saving of ₹52708.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹452500.00 lakhs) was due to transfer of less amount to the Reserve Funds and Deposit Account based on actual accrued amount.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखि शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes" - savings occurred under the following heads :-

(का) "एकमुश्त अनुदान" -

(A) "Block Grants"-

(क) "सामान्य केंद्रीय सहायता" - ₹234231.68 लाख की बचत (₹2326300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्धारित लेखा परीक्षित और अनुमानित व्यय वितरण प्रस्तुत

(a) "Normal Central Assistance"- saving of ₹234231.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2326300.00 lakhs) was due to

न किए जाने और पहले जारी की गई राशि की वसूली की वजह से बहुत सारे राज्यों को कम अनुदान जारी किए जाने के कारण हुई।

less release of grant to several States owing to non-submission of prescribed audited and anticipated expenditure statements and recovery of previous releases.

(ख) "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम" - ₹516099.08 लाख की बचत (₹1262000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा निधियों को धीरे-धीरे लेने के कारण हुई।

(b) "Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme"- saving of ₹516099.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1262000.00 lakhs) was due to slow off-take of funds by State Governments.

(ग) "राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना" - ₹14863.15 लाख की बचत (₹19000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "National E-Governance Action Plan (NEGAP)"- saving of ₹14863.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Department of Information Technology.

(घ) "जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन" - ₹518421.62 लाख की बचत (₹1252200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा अनुरूप अनुदान जारी न किए जाने, परियोजनाएं वापस लेने और स्कीमें आरंभ किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(d) "Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission"- saving of ₹518421.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1252200.00 lakhs) was due to non-release of matching shares by State Governments, withdrawal of Projects and delay in commencement of Schemes.

(खा) "आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि" - ₹375552.00 लाख की बचत (₹773200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिवेश से आय कम होने के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve Fund - National Investment Fund"- saving of ₹375552.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹773200.00 lakhs) was due to less proceeds from Disinvestment.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹12683.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - चेन्नई में विलवणीकरण संयंत्र के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4.(I) The above savings were partly (₹12683.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Additional Central Assistance for Desalination Plant at Chennai."

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for State Plan Schemes – Block Grants" – under the following heads :-

(का) "विशेष केंद्रीय सहायता - सीमा क्षेत्र विकास" - ₹10322.00 लाख का अधिक व्यय (₹90000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(A) "Special Central Assistance-Border Area Development"- excess of ₹10322.00 lakhs (against the

तुलना में) अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

sanctioned provision of ₹90000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for Arunachal Pradesh, Tripura and West Bengal.

(खा) "बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - ₹115325.27 लाख का अधिक व्यय (₹200000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Additional Central Assistance for externally aided Projects"- excess of ₹115325.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds in projects being implemented by State Governments.

(गा) "अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - ₹87720.27 लाख का अधिक व्यय (₹100000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) "Additional Central Assistance for other Projects"- excess of ₹87720.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds by Government of Madhya Pradesh.

(घा) "विशेष केंद्रीय सहायता" - ₹297000.00 लाख का अधिक व्यय (₹540000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग से ज्यादा प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(D) "Special Central Assistance"- excess of ₹297000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹540000.00 lakhs) was due to receipt of more proposals from Planning Commission.

(ङ) "विशेष योजना सहायता" - ₹315884.34 लाख का अधिक व्यय (₹260000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर, मणीपुर, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (संयुक्त) और विशेष योजना सहायता (सहबद्ध) के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(E) "Special Plan Assistance"- excess of ₹315884.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹260000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Special Central Assistance (untied) and Special Plan Assistance (tied) for Jammu and Kashmir, Manipur, Tripura and Mizoram.

(चा) "अन्नापूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता" - ₹43846.94 लाख का अधिक व्यय (₹610761.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्णय की वजह से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों की आयु में कमी किए जाने और पेंशन की राशि में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

(F) "National Social Assistance Programme including Annapurna"- excess of ₹43846.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹610761.00 lakhs) was due to reduction of age of the beneficiaries under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) and increase in amount of pension owing to decision of Ministry of Rural Development.

(छा) "पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि" - ₹234730.33 लाख का अधिक व्यय (₹484000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीआरजीएफ के विभिन्न घटकों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(G) "Backward Regions Grant Fund (BRGF)"- excess of ₹234730.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹484000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards various components of BRGF.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें *(₹300464.30 लाख)* अगस्त, 2011, नवंबर, 2011 में प्राप्त किए गए *₹1300000.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 23 प्रतिशत थीं।

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (*₹300464.30 lakhs*) constituted 23 percent of the supplementary *appropriation* of *₹1300000.00 lakhs* obtained in August, 2011 and November, 2011.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7601" *राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments*				
पू.	*S.*	*1300000.00*	*999535.70*	*999535.70*	..
पु.	*R.*	*-300464.30*			

(I) *₹300000.00 लाख* का पूरक *विनियोग* "*अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम*" के अंतर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary *appropriation* of *₹300000.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under "Ways and Means Advances – Other Ways and Means Advances" – due to non-receipt of proposals from State Governments.

(II) "''राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज-एकमुश्त कर्ज - बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" के अंतर्गत *₹1000000.00 लाख* की निधियां पूरक *विनियोग* प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई, तथापि, जो सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण *₹464.30 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(II) Under "Loans for State Plan Schemes - Block Loans – Additional Central Assistance for externally aided projects" - funds of *₹1000000.00 lakhs* were provided by obtaining supplementary *appropriation* which, however, remained unutilised to the extent of *₹464.30 lakhs* - due to receipt of less proposals from Controller of Aid Accounts and Audit.\

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

6. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "7601" राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम	Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments				
मू.	O.	1000000.00	..	..	..
पु.	R.	-1000000.00			

(I) ₹1000000.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज - बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता'' - ₹900000.00; और

(खा) ''अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम'' - ₹100000.00 लाख ।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत *प्रभारित* भाग के बजाय स्वीकृत भाग के अंतर्गत गलती से प्रावधान किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(I) Provision of ₹1000000.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following heads: -

(A) "Loans for State Plan Schemes - Block Loans – Additional Central Assistance for externally aided projects" – ₹900000.00 lakhs; and

(B) "Ways and Means Advances - Other Ways and Means Advances" - ₹100000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to inadvertent provisioning under voted portion instead of *charged* portion.